इटावा पुलिस

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम- दिनांक 27.03.2024

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निकाले गये पीड़ित के 66,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 36,000/- रुपये वापस कराये गये ।

जनपद में साइबर फ्रॉड की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निकाले गये पीडित के 66,000/- रुपयों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 36,000/- रुपये वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक मोतीलाल पुत्र सुघर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट कैस्त थाना जसवंतनगर जनपद इटावा द्वारा अपने साथ दिनांक 04.03.2024 को स्वयं के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के जरिये 66,000/- रुपये निकाल लेने के संबंध में साइबर थाना पर प्रार्थना पत्र दिया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन ,अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल मार्गदर्शन में थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर प्रार्थी के रूपये / ,यास किया गयावापस करने का प्र जिसमें सफलता प्राप्त करते हुए दिनांक 27.03.2024 को पीड़ित के 36,000/- रुपये वापस कराये गये है साथ ही पुलिस टीम द्वारा पीडित को साइबर अपराधों से बचने के लिये जानकारी देकर जागरुक किया गया ।

अपने रूपये वापस पाकर पीडित द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम व इटावा पुलिस की प्रशंसा की गई तथा थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

पुलिस टीम- श्री तारिक खान, प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम इटावा मय टीम ।

इटावा पुलिस

प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम- दिनांक 27.03.2024

इटावा पुलिस थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड (लोन के नाम पर) यूपीआई के माध्यम से निकाले गये रुपयों पर कार्यवाही करते हुये 1,21,000/- रुपये वापस कराये गये।

जनपद इटावा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध तथा क्षेत्राधिकारी अपराध के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम इटावा द्वारा साइबर फ्रॉड (लोन के नाम पर) यूपीआई के माध्यम से निकाले गये रुपयों पर कार्यवाही करते हुये 1,21,000/- रुपये वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक पवन अग्रवाल पुत्र विश्वनाथ अग्रवाल निवासी 46 ब्राउनगंज पुरानी मंडी थाना कोतवाली जनपद इटावा (उ0प्र0) द्वारा अपने साथ लोन के नाम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं के खाते से रुपये स्थानांतरण कर लेने के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा थाना साइबर क्राइम इटावा पर शिकायत दर्ज की गयी थी। जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा थाना साइबर क्राइम इटावा को घटना का संज्ञान लेते हुये कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये विभिन्न माध्यमों से साक्ष्य संकलन किये गये एवं बैंक अधिकारी/पेमेन्ट गेटवे के नोडल अधिकारी इत्यादि से वार्ता कर आवेदक के रुपये वापस करने का प्रयास किया गया। जिसमें सफलता प्राप्त करते हुये दिनांक 27.03.2024 को पीड़ित के 1,21,000/- रुपये वापस कराये गये हैं। अपने रुपये वापस पाकर पीड़ित द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुये थाना साइबर क्राइम टीम व इटावा पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा थाना साइबर क्राइम टीम का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

क्र0सं0	नाम वादी	वापस करायी गयी धनराशि
1.	पवन अग्रवाल पुत्र विश्वनाथ अग्रवाल	1,21,000/-

पुलिस टीम - श्री तारिक खान, प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम मय टीम।

नोटः- थाना साइबर क्राइम जनपद इटावा द्वारा वर्ष 2024 में अब तक कुल 3,89,805/- रुपये वापस कराये गये हैं।